

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी।

एस.टी. नम्बर : 02/2018

सरकार

बनाम

बली आदि।

अ0सं0 : 199/2017,
धारा : 304 आई.पी.सी.
थाना : पश्चिम शरीरा,
जनपद कौशाम्बी।

08.01.2018

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण बली, सुग्रीव व छोटेलाल कारागार से न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित आये।

आरोप के सम्बन्ध में उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

उभयपक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से अभियुक्तगण बली, सुग्रीव व छोटेलाल पर धारा 304 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप लगाये जाने हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान है।

अतः अभियुक्तगण बली, सुग्रीव व छोटेलाल पर धारा 304 सपठित 34 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किया गया है। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 23.01.2018 को पेश हो। अभियोजन साक्षी तलब हों।

सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।